सीना तानकर बोलूंगा देश नक्सल मुक्त

गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर को भय नहीं, विश्वास की पहचान बताया

शहीद जवानों के परिवारों से भी मिले अमित शाह

बस्तर में विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का भरोसा जताया

रायपुर, 18 मई. भारत अब नक्सवाद से मुक्त हो चुका है. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि देश से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है. अब इन इलाकों का तेजी से विकास होगा. सरकार को अगले एक साल में गांव-गांव ते भेजेंगे.

वे जगदलपुर में लोगों को संबोधित कर रहे थे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थायी शांति कायम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. नक्सलवाद के खात्में के बाद अब तेजी से विकास होगा. बता दें कि

> छत्तीसगढ़ को 31 मार्च को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था. इसके बाद प्रदेश में यह केंद्रीय मंत्री शाह की पहली यात्रा है. यहां शाह ने कहा कि, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं कि स्थायी शांति और विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. बयान में कहा गया है कि अमर वाटिका में आयोजित कार्यक्रम के दौरान, शाह ने बीजापुर जिले में माओवादी हमले में जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों कलेंद्र प्रसाद नायक और पवन कुमार मांडवी के परिवारवालों से मुलाकात की और उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.

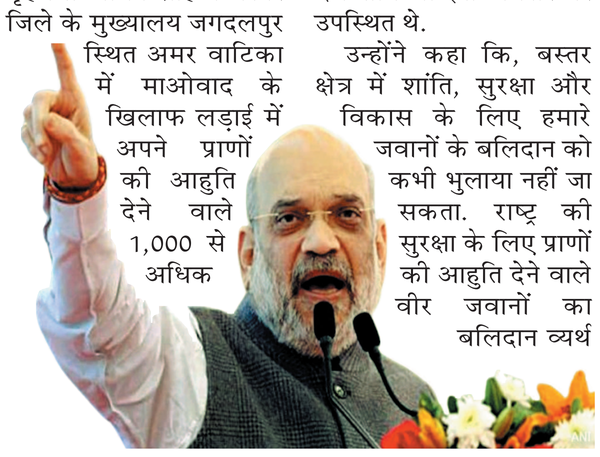

रविवार को छत्तीसगढ़ के तीन दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर स्थित अमर वाटिका में माओवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 1,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी इस अवसर पर उपस्थित थे.

उन्होंने कहा कि, बस्तर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास के लिए हमारे जवानों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता. राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षाकर्मियों से भी बातचीत की और उनके साहस, समर्पण और प्रतिबद्धता की प्रशंसा की. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शहीद जवानों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार उनके परिवारों के कल्याण, सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

पश्चिम रेलवे-रतलाम

"निविदा सूचना"

Tender Notice No.: EL81-1-2026-27-03RT2 Date: 15-05-2026. Name of work: रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप दाहोद एवं कालिडैम पंप हाउस का एनर्जी ऑडिट। Location: सहायक परियोजना प्रबन्धक (बिजली), सी साइट, फ्रीलैंडगंज, दाहोद –389160 (गुजरात)। **Approximate Cost of the work: ₹5,09,760/-. Date & time of Submission & opening of E-Tender:** Submission Up to 15.00 Hrs on **05.06.2026** and & the tenders will be opened at 15.30 Hrs on the same day. The Tender Notice and documents uploaded on the website **www.ireps.gov.in**/E-Tenders/Works/IR Electrical by this office. 0056

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

प्रेमानंद महाराज अस्वस्थ- वृंदावन, 18 मई. वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उनकी रोजाना की पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है. रविवार की देर रात बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आश्रम पहुंचे, लेकिन महाराज जी सुबह 3 बजे पदयात्रा के लिए नहीं निकल पाए. शिष्यों ने लाउडस्पीकर के माध्यम से श्रद्धालुओं को सूचना दी और सड़क किनारे भीड़ न लगाने की अपील की. आश्रम सूत्रों ने बताया कि महाराज पिछले करीब 21 सालों से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें विश्राम दिया गया है. पदयात्रा और दर्शन फिर से कब शुरू होंगे, इसका अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है।

Office of Ujjain Development Authority, Ujjain

Vishal Bhawan, Bharatpuri Administrative Area, Dewas Road, Ujjain – 456010

E-mail: udaujjain@gmail.comWebsite: www.udaujjain.org

Tender Notice

Online tenders are invited from eligible firms for the following works. Detailed tender details can be found on the website:https://mptenders.gov.in/nicgep/app

No.	Tender Number & Date of Issue	Name of work	Work duration & PAC	Cost of Tender Form and EMD (INR)	Last date of tender
1	UDA/ET/65/26 Date: 08/05/2026 2026_DTCP_506163_1	Construction of Commercial Cum Residential Complex at Shipra Vihar, Dewas Road, Ujjain (Second Call)	69,86,76,000 540 Days	59,000/- 34,93,380/-	30-May-2026
2	UDA/ET/66/26 Date: 08/05/2026 2026_DTCP_506304_1	Comprehensive Development of Angareshwar Mahadev Temple, Ujjain	66,14,81,838 365 Days	59,000/- 33,07,410/-	01-June-2026
3	UDA/ET/67/26 Date: 11/05/2026 2026_DTCP_506681_1	Remaining Interior Furnishing Works at UDA, Ujjain	1,03,96,1491 80 Days	13,625/- 1,03,961/-	02-June-2026
4	UDA/ET/77/26 Date: 14/05/2026 2026_DTCP_508026_1	Proposed Construction of a 9-Meter-Wide Road with a Length of 6.1 km on the Eastern Side of the Kshipra River (Second Call)	34,53,81,814 365 Days	59,000/- 17,26,909/-	29-May-2026
5	UDA/ET/76/26 Date: 14/05/2026 2026_DTCP_507987_1	Ankapat Chourahe Khakchouk Chourahe to Mangalnath Marg Widening Work, Ujjain (Second Call)	42,97,61,835 365 Days	59,000/- 21,49,000/-	29-May-2026
6	UDA/ET/73/26 Date: 14/05/2026 2026_DTCP_507688_1	Construction of Proposed Road of Block 1A and 2 (Package 1) at Ujjain (Second Call)	1,37,78,63,062 365 Days	59,000/- 50,00,000/-	29-May-2026
7	UDA/ET/74/26 Date: 14/05/2026 2026_DTCP_507884_1	Construction of Proposed Road of Block 1B (Package 2) at Ujjain (Second Call)	1,49,53,93,530 365 Days	59,000/- 50,00,000/-	29-May-2026
8	UDA/ET/75/26 Date: 14/05/2026 2026_DTCP_507897_1	Construction of Proposed Road of Block 3 and 4 (Package 3) at Ujjain (Second Call)	1,26,13,58,238 365 Days	59,000/- 50,00,000/-	29-May-2026

Executive Engineer
Ujjain Development Authority, Ujjain

700 करोड़ की संपत्ति कुर्क

ईडी का गैंगस्टर इकबाल मिर्ची पर शिकंजा

नई दिल्ली, 18 मई. प्रवर्तन निदेशालय ने गैंगस्टर इकबाल मिर्ची और उसके परिवार के सदस्यों से जुड़े 700.27 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है. ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने सोमवार को बताया कि कुर्क की गई इन संपत्तियों में मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित तीन बेहद कीमती संपत्तियों राबिया मेंशन, मरियम लॉज और सी व्यू शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 497 करोड़ रुपये है. इसके साथ ही दुबई में मौजूद करीब 203.27 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है.

ईडी ने इस मामले की जांच मुंबई पुलिस द्वारा इकबाल मोहम्मद मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची के खिलाफ एम.आर.ए. मार्ग पुलिस स्टेशन सहित अन्य थानों में दर्ज कई प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी. मिर्ची के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आर्म्स एक्ट, टाडा और एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज थे. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई जांच से पता चला है कि इकबाल मिर्ची कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली, अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री और अन्य संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल था. इन अपराधों के जरिए उसने भारी मात्रा में अवैध धन की कमाई की और उसे अपने परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और अपने नियंत्रण वाली कंपनियों के नाम पर भारत और विदेशों में संपत्तियां खरीदकर ठिकाने लगाया।

जांच में यह खुलासा हुआ कि मुंबई के वर्ली में स्थित 'सर मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट' की संपत्तियों को साल 1986 में मेसर्स रॉकसाइड एंटरप्राइजेज के जरिए 6.50 लाख में खरीदा गया था. कागजों पर ये संपत्तियां लगातार ट्रस्ट के नाम पर ही बनी रहीं, लेकिन इनका वास्तविक मालिकाना हक और नियंत्रण कथित तौर पर इकबाल मिर्ची और उसके परिवार के पास ही था.

कब्जा नोटिस

जबकि, IIFL-HFL ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) ("उक्त अधिनियमद्ध) के प्रावधानों के तहत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("उक्त नियम") के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता, गारंटर, बंधककर्ता को राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। और इसके बाद, IIFL-HFL ने असाइनमेंट समझौते के माध्यम से दिनांक 29-दिसंबर-2025 को उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा देय ऋणों के संबंध में अपने सभी अधिकार, स्वामित्व, हित और लाभ, जो IIFL-HFL बैंक द्वारा उधारकर्ता/गारंटर को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न हुए हैं, और अंतर्निहित अचल संपत्ति को फीनिक्स आर्क लिमिटेड (पूर्व में "फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) को सौंप दिया है, जो फीनिक्स ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहा है झ वित्तीय वर्ष 26-14 ("फीनिक्स") सुरक्षा रसीद धारकों के लाभ के लिए। अतः, उक्त आवंटन के मद्देनजर, फीनिक्स अब IIFL-HFL के स्थान पर प्रतिस्थापित हो गया है। और फीनिक्स उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार के विरुद्ध सभी प्रकार की कार्यवाही शुरू करने/जारी रखने तथा वित्तीय दस्तावेजों के अंतर्गत अपने अधिकारों और लाभों को लागू करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा ली गई वित्तीय सुविधाओं के लिए निष्पादित और निर्मित गारंटी और सुरक्षा हित को लागू करना भी शामिल है। ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित अचल संपत्ति पर "जैसा है, जहां है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे उल्लिखित तिथि से कब्जा कर लिया है।

ऋणकर्ता का नाम / सह-ऋणकर्ता का नाम / गारंटर का नाम / LAN नं.	सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री लखन लाल प्रजापति श्रीमती रश्मी प्रजापति (ऋण खाता संख्या: IL10218408)	प्लॉट संख्या 23-बी (प्लॉट संख्या 23-बी/2) का मध्य भाग, यूएस गोल्ड सिटी कॉलोनी, ग्राम-भटखेड़ी, तहसील- महू, इंदौर, मध्य प्रदेश 453441। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति प्रकार: क्षेत्रफल। संपत्ति का क्षेत्रफल: 500	रू. 1573591/- (पंद्रह लाख तिहेत्तर हजार पांच सौ ईनक्यानवे मात्र)	04/12/2025	15/05-2026
श्री विजय यादव, श्रीमती पूजा यादव (ऋण खाता संख्या: 908798)	प्लॉट सं.11 (11-बी) का उत्तरी भाग, गिरनार सिटी-2, ग्राम सुतार खेड़ी, तहसील महू, जिला इंदौर, म.प्र., भारत, पिन नं. 452001 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, कालीन क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र। संपत्ति क्षेत्र: 550.00, 495.00, 550.00	रू. 1759788/- (सत्रह लाख उनसठ हजार सात सौ अठासी मात्र)	08/10/2025	15/05-2026
श्री सुमित पाल श्रीमती नेहा (ऋण खाता संख्या: IL10741311)	प्लॉट संख्या 234-235, श्रद्धा रेजिडेंसी, ग्राम- ब्रोधा, तहसीलमहो, जिला- इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, पिन संख्या 452001। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, कालीन क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र क्षेत्रफल: 1600.00, 111.00, 750.00	रू. 1214532.00/- (बारह लाख चौदह हजार पाँच सौ बत्तीस मात्र)	13/10/2025	15/05-2026

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स उपरोक्त अचल संपत्ति पर वैध कब्जे में है। SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के बाद, फीनिक्स की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित/हस्तांतरित नहीं करेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन फीनिक्स द्वारा ऊपर उल्लिखित राशि के प्रभार के अधीन होगा, साथ ही उक्त राशि पर संविदात्मक दर से भविष्य का ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि भी देय होंगे। ऋणकताओं/गारंटरों/गिरवीदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो ऋण छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं। ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति।

स्थान: इन्दौर
दिनांक: 19.05.2026

हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी,
फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (पूर्व में 'फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से जाना जाता था)

सीआईएन क्र.-U67190MH2007PLC168303 वेबसाइट: www.phoenixarc.co.in पंजीकृत कार्या.: तीसरी मंजिल, वॉलेस टावर्स, 139/140 /B/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का चौराहा, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र, 400057. दूरभाष: +91 02268492450.

SMFG Grihashakti Nayi Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051
पंजीकृत कार्यालय: कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन

अचल संपत्ति के लिए कब्जे का नोटिस [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

चूँकि अधोहस्ताक्षरी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी [राष्ट्रीय आवास बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली) के साथ विधिवत पंजीकृत] (जिसे आगे "एसएमएचएफसी" कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित दिनांकित मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें आपसे, उधारकताओं के रूप में, (नीचे उल्लिखित नाम) उक्त सूचना में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज की राशि, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है। नीचे उल्लिखित उधारकताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, नीचे उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को, एतद्द्वारा उक्त संपत्ति से लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन "SMHFC" के प्रभार के अधीन होगा यहाँ उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए।

स. क्रं.	उधारकर्ता (एस)/ गारंटर (एस) का नाम लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	डिमांड नोटिस दिनांक और राशि	कब्जा की तिथि
1	लैन:- 623439512044760 1. राहुल हम्माद 2. राखी हम्माद 3. भूरी बाई सीरवी	ग्राम पंचायत काप्सी, फोन नंबर 77, तहसील कुक्षी और जिला धार, मध्य प्रदेश में स्थित मकान संख्या 214 की पूरी जमीन। जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट है। संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में प्रभु का मकान, पुत्र राधेश्याम, पश्चिम में हीरालाल का मकान, पुत्र भूराजी, उत्तर में आम सड़क, दक्षिण में धर्मशाला।	13.02.2026 रु. 14,66,274.84/- (चौदह लाख छियासठ हजार दो सौ चौहत्तर और चौरासी पैसे मात्र) 09.02.2026 तक	15.05.2026
	लैन :- 604439511708074 1. महेंद्र कुमार जवेरिया 2. सीमा जावरिया	वह संपूर्ण भूभाग, प्लॉट सं.58, स्थित ग्राम पंचायत, बडोदिया, जिला शाजापुर 1617 वर्ग फुट। संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में नितिन कुमार का घर, पश्चिम में रामेश्वर पटेल का घर, उत्तर में धर्म सिंह की सड़क और दक्षिण में धर्म सिंह की सड़क। क्षेत्रफल 1617 वर्ग फुट। शेष संपत्ति पूर्व में लक्ष्मी नारायण का घर, पश्चिम में महेंद्र और सीमा का घर, उत्तर में राम सिंह की सड़क और दक्षिण में राम सिंह की सड़क। क्षेत्र. 3198 वर्ग फुट।	20.02.2026 रू. 53,68,630.72/- (तिरेपन लाख अड़सठ हजार छह सौ तीस और बहत्तर पैसे मात्र) 09.02.2026 तक	18.05.2026

स्थान: धार, शाजापुर, मध्य प्रदेश
दिनांक: 15.05.2026/18.05.2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।

अब दिल्ली एनसीआर में ईवी वाहन चलेंगे

चंडीगढ़, 18 मई. हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग चंडीगढ़ में सचिवालय में हुई. सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में 27 एजेंडों को मंजूरी दी गई. अहम बात है कि कैबिनेट ने हरियाणा मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया है. मीटिंग में पानीपत की चुलकाना धाम को श्राइन बोर्ड का दर्जा भी दिया गया है.कैबिनेट मीटिंग में बीसीए और और बीसीबी वर्ग के तहत नौकरी अप्लाई करने वाले लोगों को राहत दी गई है. इस संबंध में 3069 पदों के लिए ऐड दी गई थी. लेकिन जो तकनीकी प्रॉब्लम थी उसे आज कैबिनेट में राहत दी गई है. उधर, मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 को लागू करने का फैसला लिया गया. हरियाणा में एनसीआर व्हीकल नीति में बदलाव किया गया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीआर में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी गाड़ियां ही चलेंगी. वहीं, हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कोई रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं लगेगा. गौर रहे कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत समेत करनाल तक के इलाके दिल्ली एनसीआर में आते हैं. प्रदेश के कुल 14 जिले एनसीआर में आंशिक और पूरी तरह आते हैं. पॉलिसी बनाने से पहले दिल्ली में इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के सुझाव लिए गए थे. इसमें अगले 5 वर्षों में करोड़ों के निवेश का लक्ष्य रखा गया है. गुरुग्राम और पंचकूला में आईटी से जुड़े सेंटर खोलने को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दी है और यहां पर युवाओं को आईटी और एआई से जुड़ी जानकारी सिखाई जाएगी.

> मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि आने वाले समय मे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा मिल रहा है. ऐसे में ईवी रजिस्ट्रेशन फ्री करने पर काम किया जा रहा है. वर्क फ्रॉम होम पर भी काम किया जाएगा और वर्चुल बैठकों पर भी जोर दिया जाएगा.

महाराष्ट्र परिषद चुनाव 18 जून को होंगे

नई दिल्ली 18 मई. चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए स्थानीय निकायों से 16 सीटों के लिए द्वैवार्षिक चुनाव 18 जून को करने की घोषणा की है. इनके साथ ही नागपुर स्थानीय निकाय की परिषद की रिक्त पड़ी एक सीट के लिए उप-चुनाव भी कराया जाएगा. चुनाव आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन चुनावों के लिए अधिसूचना 25 मई को जारी की जाएगी और उसी दिन से नामांकन पत्र भरने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा. नामांकन पत्र 01 जून तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे. नामांकन पत्रों की जांच 02 जून को कराई जाएगी और नाम 04 जून तक वापस लिए जा सकेंगे.

कार्यालय नगर पालिका परिषद सेंधवा, जिला बड़वानी

E-mail-cmosendhwa@mpurban.gov.in

क्रमांक / 1293/ राजस्व / 2026 — सेंधवा, दिनांक 18/05/2026

/ / आपत्ति इश्तिहार सूचना //

एतद् द्वारा नगर पालिका परिषद सेंधवा के वार्ड 01 से 24 तक स्थित भवन / भूमि के स्वामी को सूचित किया जाता है कि निकाय के वार्ड 01 से 24 में स्थित भवन / भूमि पर कर निर्धारण किया जाकर वसूली किए जाने हेतु सचालनालय नगरीय प्रशासन एवं आवास भोपाल के आदेशानुसार शहरी सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित जीआईएस सर्वे शासन से अधिकृत एजेंसी GIS Consortium India Pvt. Ltd. से नगर के संपूर्ण क्षेत्र में कराया जाना है। जिसमें नगर के सभी स्थित भवन / भूमि के स्वामियों का नाम व भवन / भूमि का क्षेत्रफल दर्ज किया जाकर विवरणी तैयार की गई । जिस अनुसार नगर पालिका परिषद सेंधवा द्वारा सभी सम्पत्तियों पर सम्पत्तिकर/समेकितकर / शिक्षा उपकर / स्वच्छताकर / मलजलकर आरोपित कर वसूल किया जाना है। उक्त संबंध में किसी भी भवन / भूमि स्वामी को उक्त जीआईएस सर्वे के दस्तावेज में भवन स्वामी के नाम से त्रुटि हो या भवन / भूमि के क्षेत्रफल में त्रुटि हो तो उक्त आम सूचना की दिनांक 18.05.2026 से 15 दिवस में लिखित आपत्ति एवं पंजीकृत दस्तावेज लेकर कार्यालय नगर पालिका परिषद सेंधवा में प्रातः 11.000 बजे से शाम 05.00 बजे तक उपस्थित होकर रिकार्ड में सुधार करवा सकते है । समयावधि में उपस्थित नहीं होने पर यह माना जावेगा कि जीआईएस सर्वे में अंकित भवन / भूमि तथा भवन के स्वामियों के नाम व क्षेत्रफल में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है एवं किसी नागरिक को कोई आपत्ति नहीं है । सर्वेयर द्वारा दर्ज नाम एवं भवन/ भूमि का क्षेत्रफल स्वीकार है ऐसा माना जावेगा तथा समयावधि पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। आमजन सूचित हो ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
न.पा.परिषद सेंधवा, म.प्र.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीर्कृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	51123237	संपत्ति के बदले ऋण	06.05.2026	1,13,844.44/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. अनिल दास 2. रवीना बैरागी 3. रेशम बाई बैरागी

संपत्ति का पता: पीएच नं. 58, सर्वे नंबर 282, क्षेत्रफल - 1840 वर्ग फुट (171 वर्ग मीटर), पट्टा नंबर 1555/2016-17, अभयपुर, सोनकच्छ, देवास, मध्य प्रदेश स्थित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: मनोहर सिंह का घर, पश्चिम: आरसीसी रोड, उत्तर: आरसीसी रोड, दक्षिण: मोद सिंह का घर।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	38587391	संपत्ति के बदले ऋण	18.03.2026	1,90,064.50/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. भेरूलाल कटबड़ोदिया 2. राखी डिंगरोडिया

संपत्ति का पता: मध्य प्रदेश के अगर जिले के सोनचिड़ी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 14, पीएच नं. 59 में स्थित मकान संख्या 231, कुल क्षेत्रफल 800 वर्ग फुट, सर्वेक्षण संख्या 245 वाली संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर: सामान्य सड़क, दक्षिण: बागदीराम का मकान, पूर्व: मेहरबान सिंह का मकान, पश्चिम: लाल सिंह का मकान।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	128842938	संपत्ति के बदले ऋण	17.01.2026	6,19,589.52/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. दिनेश कुमार मेवाड़ा 2. लाड कुँवर बाई 3. राहुल मेवाड़ा

संपत्ति का पता: मध्य प्रदेश राज्य- 465331 के शाजापुर जिले के शुजालपुर तहसील के शुजालपुर जिले के उगली गांव के वार्ड संख्या 19 में स्थित मकान संख्या 531 के बाहरी हिस्से में स्थित अचल संपत्ति (आवासीय मकान) का वह भाग, जिसका क्षेत्रफल 30x30-900 वर्ग फुट (83.64 वर्ग मीटर) है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में स्थानीय मार्ग, पश्चिम में स्थानीय मार्ग, उत्तर में सड़क और दक्षिण में महेश बैरागी का मकान।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
4	41227762	होम लोन	02.04.2026	2,24,137.52/-

ऋणकताओं और सह-ऋणकताओं के नाम: 1. राम गिरि गोस्वामी 2. आशा गिरि

संपत्ति का पता: म.सं.68/1 का वह पूरा टुकड़ा और भाग, जिसका कुल क्षेत्रफल 2025 वर्ग फुट है, जो सर्वे सं. 602, पीएच नं. 58, ग्राम: नागगुरड़िया, वार्ड सं.02, तहसील: महिदपुर, जिला: उज्जैन, म.प्र.-466441 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में दिलीप गिरि की भूमि, पश्चिम में बग्गा का मकान, उत्तर में बहादुर सिंह का मकान, दक्षिण में सरकारी भूमि और फिर आम सड़क।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 19.05.2026
स्थान: मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

Chola Enter a better life

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 और सी55, 4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिण्डी, चेन्नई-600 032

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

आपको, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता / सह-उधारकताओं को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने आपके खिलाफ प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत कार्यवाही शुरू की है और आपको पंजीकृत डाक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नोटिस भेजा गया है। उधारकर्ता / उधारकताओं के लिए देय राशि बिना वितरित किए वापस आ गई है। इसलिए, आपको इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस लेने और उक्त खाते के खिलाफ उल्लिखित बकाया ऋण राशि का भुगतान ब्याज के साथ करने के लिए कहा जाता है, जिसमें विफल रहने पर कंपनी ब्याज और लागतों के साथ अपने बकाये की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित सुरक्षा को लागू करके अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करके आपके खिलाफ आगे बढ़ेगी। यह उल्लेख करना अनावश्यक है

स. क्र.	ऋण खाता संख्या और नाम और उधारकर्ता/सह-उधारकताओं का पता	ऋण राशि	मांग नोटिस की तिथि और बकाया राशि
1.	ऋण संख्या TL01IND00000065088 1. मैसर्स. संतोष टी स्टॉल और रेस्तरां, (उधारकर्ता) दुकान 31 Pu-3 स्कीम नंबर 54 विजय नगर इंदौर 452010 2. श्री गोपाल संतोष गोविंदा, (सह उधारकर्ता) 3. श्री गोपाल सुनंदा संतोष, (सह उधारकर्ता) क्रमांक 2 और 3 में निवास: 297/ डी/3-3 शेनाक नंबर 7} असाया अगत तंडोर पो', विजय नगर, इंदौर - 452 011	रु. 51,99,999/-	27.04.2026 और रू. 54,21,634/- 20.04.2026 तक साथ में अतिरिक्त ब्याज और शुल्क। एनपीए दिनांक : 06.04.2026
	संपत्ति का विवरण: श्रीमती द्वारा स्वामित्व वाला आवासीय भूखंड/मकान संख्या CW-268, ई.डब्ल्यू.एस., पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, सुखलिया, तहसील और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। कुल भूखंड क्षेत्रफल 315 वर्ग फुट (29.27 वर्ग मीटर)। निम्नलिखित सीमाओं से घिरा हुआ: पूर्व: मकान संख्या CW-269, पश्चिम: मकान संख्या CW-267, उत्तर: ई.डब्ल्यू.एस. मकान, दक्षिण: सड़क।		
2.	ऋण संख्या TL01IND00000064599 1. मेसर्स बी.एम. सैनिटेशन, (ऋणकर्ता) 84-सी, एमआर-10, रिंग रोड, शीतल नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452010, भारत 2. श्री अभिषेक जैन, (सह-ऋणकर्ता) 204 रॉयल व्यू अपार्टमेंट स्कीम, नं. 54, इंदौर - 452010 3. श्रीमती नेहा जैन, (सह-ऋणकर्ता) अपार्टमेंट संख्या 204, रॉयल व्यू, एफएफ 27-28, मेघदूत गार्डन के सामने, स्कीम संख्या र , इंदौर - 152010	रु. 2,04,00,000/-	27.04.2026 और रू. 2,09,22,624/- 20.04.2026 तक साथ में अतिरिक्त ब्याज और शुल्क। एनपीए दिनांक : 06.04.2026
	संपत्ति का विवरण: रुद्र एन्क्लेव के भूतल पर स्थित अचल संपत्ति का पूरा टुकड़ा/दुकान संख्या जी-1, प्लॉट/मकान संख्या 273-ए/जी, योजना संख्या 74-सी, सेक्टर-ए (वार्ड संख्या 29), इंदौर, निर्मित क्षेत्रफल 772 वर्ग फुट (71.74 वर्ग मीटर) है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: साझा मार्ग, पश्चिम: सड़क, उत्तर: प्लॉट संख्या 274 ए.जी., योजना संख्या 74-सी, दक्षिण: दुकान संख्या जी-2।		
3.	ऋण संख्या TL01IND00000062173 1. मैसर्स ओम शिव शक्ति स्टोन क्रशर, (उधारकर्ता) 1538/2 महिदपुर जगोते उज्जैन मध्य प्रदेश - 456 550 2. श्री हार्डफेप सिरिग्न पार्चर, (सह-उधारकर्ता) लोहार Er. 193 कोठदस ताल "तम। ताल यू Ha५ जिला रतलाम 7024081875 कोठड़ी, ताल रतलाम- 457 48 3. श्रीमती पुष्पा, (सह-उधारकर्ता) 193 ग्राम फोथडी कोठडी रतलाम मप्र - 457 118	रु. 51,41,365/-	27.04.2026 और रू. 53,33,055/- 20.04.2026 तक साथ में अतिरिक्त ब्याज और शुल्क। एनपीए दिनांक : 06.04.2026
	संपत्ति का विवरण: कोठाड़ी ताल गांव, पटवारी हल्का संख्या 6, तहसील ताल, जिला रतालाम में स्थित भूमि संख्या 450/2 का वह पूरा टुकड़ा और मकान, कुल भूमि क्षेत्रफल 0.05 हेक्टेयर (5380 वर्ग फुट) (500 वर्ग मीटर) है, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: अन्य भूमि, पश्चिम: सड़क, फिर सुरेश पुत्र बालूसिंह का मकान, फिर तुलसीराम की भूमि, उत्तर: रास्ता, दक्षिण: रास्ता, फिर नागुलल का मकान।		
4.	ऋण संख्या TL01IND00000063966 1. मैसर्स. माँ त्रिवेणी स्वीट्स एंड किराना, (उधारकर्ता) नवलपुरा बड़वानी रोड राजपुर बड़वानी, मध्य प्रदेश - 451 447 2. श्री मनीष सोनी, (सह-उधारकर्ता) मकान नंबर 100/3, बड़वानी रोड राजपुर, बड़वानी, मध्य प्रदेश - 451447 3. श्रीमती रौशनी, (सह-उधारकर्ता) वार्ड नंबर 3, बड़वानी रोड, राजपुर, गरवानी, मध्य प्रदेश - 451447	रु. 1,05,00,000/-	27.04.2026 और रू. 1,04,93,451/- 20.04.2026 तक साथ में अतिरिक्त ब्याज और शुल्क। एनपीए दिनांक : 06.04.2026
	संपत्ति का विवरण: मद संख्या 1: मकान संख्या आईडी 4, वार्ड संख्या 02, नगर राजपुर (कृषि उपज मंडी से नवलपुरा फाटा), बरवानी रोड, राजपुर, तहसील राजपुर, जिला बरवानी में स्थित आवासीय सह वाणिज्यिक संपत्ति का पूरा टुकड़ा। कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट (55.76 वर्ग मीटर)। सीमाएँ: पूर्व: कृष्णा गुप्ता का मकान। पश्चिम: बरवानी रोड (खंडवा-बडोदा राजमार्ग)। उत्तर: शब्बीर का मकान। दक्षिण: पुनीत पुत्र स्वर्गीय श्री मुरलीधर सोनी का मकान। मद संख्या 2: सर्वे संख्या 105/2/3/1/2 (सर्वे संख्या 105/2/3 का भाग) ग्राम तेमला बुजुर्ग (खंडवा बड़ौदा रोड पीएम रोड) और आबादी क्षेत्र, पटवारी हल्का संख्या में स्थित वाणिज्यिक विनियोजित भूमि का पूरा टुकड़ा। 15/00036 -मंडील, राजपुर, तहसील -राजपुर, जिला बरवानी, कुल क्षेत्रफल 2700 वर्ग फुट (250.92 वर्ग मीटर/0.0250 हेक्टेयर)। सीमाएँ: पूर्व: विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिम: विक्रेता की शेष भूमि, उत्तर: अनिर्मित सड़क, दक्षिण: सरकारी भूमि।		
5.	ऋण संख्या TL01IND00000059529 1. मैसर्स. माँ त्रिवेणी स्वीट्स एंड किराना, (उधारकर्ता) नवलपुरा बड़वानी रोड, राजपुर, बड़वानी, मध्य प्रदेश - 451 447 2. श्री मनीष सोनी, (सह-उधारकर्ता) मकान नंबर 100/3, बड़वानी रोड राजपुर, बड़वानी, मध्य प्रदेश - 451 447 3. श्रीमती रौशनी, (सह-उधारकर्ता) वार्ड क्रमांक 3, बड़वानी रोड राजपुर गरवानी मध्य प्रदेश 451447	रु. 93,50,000/-	27.04.2026 और रू. 95,56,490/- 20.04.2026 तक साथ में अतिरिक्त ब्याज और शुल्क। एनपीए दिनांक : 06.04.2026
	संपत्ति का विवरण: मद संख्या 1: मकान सं. आईडी 4, वार्ड सं. 02, नगर राजपुर (कृषि उपज मंडी से नवलपुरा फाटा), बरवानी रोड, राजपुर, तहसील राजपुर, जिला बरवानी में स्थित आवासीय सह वाणिज्यिक संपत्ति का पूरा टुकड़ा। कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट (55.76 वर्ग मीटर)। सीमाएँ:. पूर्व: कृष्णा गुप्ता का मकान। पश्चिम: बरवानी रोड (खंडवा-बडोदा राजमार्ग)। उत्तर: शब्बीर का मकान। दक्षिण: पुनीत पुत्र स्वर्गीय श्री मुरलीधर सोनी का मकान। मद संख्या 2: सर्वे संख्या 105/2/3/1/2 (सर्वे संख्या 105/2/3 का भाग) ग्राम तेमला बुजुर्ग (खंडवा बड़ौदा रोड पीएम रोड) और आबादी क्षेत्र, पटवारी हल्का संख्या में स्थित वाणिज्यिक विनियोजित भूमि का पूरा टुकड़ा। 15/00036 -मंडील, राजपुर, तहसील -राजपुर, जिला बरवानी, कुल क्षेत्रफल 2700 वर्ग फुट (250.92 वर्ग मीटर/0.0250 हेक्टेयर)। सीमाएँ: पूर्व: विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिम: विक्रेता की शेष भूमि, उत्तर: अनिर्मित सड़क, दक्षिण: सरकारी भूमि।		

दिनांक: 19.05.2029
स्थान: इन्दौर

प्राधिकृत अधिकारी,
चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड के लिए